कार्यवृत्त
शनिवार, 30 फाल्गुन, शक संवत्, 1936
(दिनांक 21 मार्च, 2015 ई0)

खण्ड–42
अंक–9

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

मा0 सदस्य मदन कौशिक ने अनुरोध किया कि कार्य संचालन नियमावली में स्पष्ट दिया गया है कि ''प्रत्येक शुक्रवार को 3:00 बजे अपराह्न से कार्य समाप्ति तक असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें। उसको सरकारी कार्य पर अग्रेता प्राप्त होगी। परन्तु जब अध्यक्ष ने उप नियम –1 के अन्तर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो व नेता सदन से परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे'' तो आज का दिन असरकारी यानि विपक्ष के सदस्यों का है, लेकिन आज भी सरकार ने पहले अपने काम रख दिये। यदि इन कामों के लिए सरकार को जल्दी थी तो महिने–दो महिने पहले ले आते। इसलिए सरकार के कार्यो को अगले सत्र में लाया जाय और असरकारी दिवस का स्वरूप सुरक्षित रखा जाय।

संसदीय कार्य मंत्री, ने कहा कि बहुत समय से आन्दोलनकारी धरने पर बैठे हुए हैं, इस पर आपकी भी जिज्ञासा उतनी ही होगी, इसलिए यह विधेयक हमें प्रस्तुत करने पड़े जिसमें आपकी भी सहमति होनी चाहिए से अवगत कराते हुए यह अनुरोध किया गया कि इन्हें आज ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 21 मार्च, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्न लिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

मार्च, 2015

21 शनिवार

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

निम्न सदस्यों ने विचार व्यक्त किए।

1. नेता प्रतिपक्ष
2. श्री पुष्कर सिंह धामी
3. श्री चन्दन राम दास
4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
5. श्री गणेश जोशी
6. श्री मदन कौशिक
7. श्री सुबोध उनियाल
8. श्री भीम लाल आर्य
9. श्री आदेश चौहान
10. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल
11. श्री ललित फर्स्वाण
12. श्रीमती शैला रानी रावत
13. श्री पूरन सिंह फर्त्याल

14. श्री जीत राम

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्यों की भावनाओं का सन्दर्भ लेते हुए उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये/घायल आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2015 वापस लिया जाए। **प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।**

श्री नवप्रभात ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कई बार यह देखने में आ रहा है कि सदन में कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये विषयों के संबंध में माननीय सदस्य सदन में कुछ और कहते हैं तथा प्रसारण –प्रकाशन में वास्तविक बात नहीं आकर विकृत रूप में वह आता है। इस प्रकार के प्रकरण माननीय सदस्यों को संविधान में प्रदत्त विशेषाधिकार के हनन की श्रेणी में आता है तथा अनावश्यक रूप से सदन की गरिमा पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। इससे पूर्व भी यह विषय कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया है। जिस पर सदन की कार्यवाही तक पहुंच के संबंध में स्पष्ट विनिश्चय अथवा स्पष्ट निर्देश की मांग श्री अध्यक्ष से की गई।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य, श्री नवप्रभात द्वारा व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत यह विषय उठाया गया कि सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों के संबंध में माननीय सदस्यों के सदन में कथन का प्रसारण एवं प्रकाशन में वास्तविक रूप में न आकर विकृत रूप में आता है यह एक गंभीर विषय है। उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 एवं उत्तराखण्ड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश में स्वतः स्पष्ट नियम तथा निदेश विद्यमान हैं, जो सदन की कार्यवाही के प्रकाशन तथा प्रसारण को विनियमित करते हैं। विधान सभा प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक सभा है जो प्रदेश के नागरिकों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने तथा उनकी पूर्ति के लिए नीति निर्माण एवं विधि निर्माण का दायित्व निभाती है। माननीय सदस्यों के रूप में यह प्रदेश की गरिमा तथा मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती है। यह एक सम्मानित सदन है तथा इसकी कार्यवाही तक पहुंच सुनिश्चित करने, उसका प्रयोग करने तथा उसके प्रकाशन प्रसारण से जुड़े सभी पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य के कियान्वयन में सदन की गरिमा तथा सार्वभौमिकता बनाए रखे। हालांकि इस सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट है कि अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की यथा संशोधित संपूर्ण एवं शुद्ध प्रति प्रकाशित कर सदस्यों को वितरित की जाएगी तथापि माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये व्यवस्था के प्रश्न के आलोक में मैं, निदेश देता हूॅ कि कार्यवाही की सम्पूर्ण और शुद्ध प्रति माननीय सदस्य के अनुमोदनोपरान्त एवं मुद्रणोपरान्त सदन में वितरति किये जाने के पश्चात् ही किसी को उपलब्ध करायी जाए ताकि माननीय सदन तथा उसके माननीय सदस्यों के न केवल विधि सम्मत विशेषाधिकार सुरक्षित रह सकें वरन् सदन की गरिमा अक्षुण्ण रखी जा सके तथा कार्यवाही सार्वजनिक हो सके। इसी के दृष्टिगत सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग तथा प्रसारण के संबंध में निदेश संख्या 149 (क) तथा 149 (ख) जारी किये गये हैं। वर्तमान में सदन में पत्रकार दीर्घा के स्थानाभाव के कारण मात्र प्रयोगिक आधार पर मीडिया सेन्टर में सदन की कार्यवाही के प्रसारण की कामचलाऊ व्यवस्था है। वीडियो रिकार्डिंग तथा उसके संपादन हेतु वृहद तकनीकी अवस्थापना सुविधा के अभाव में नितान्त अस्थायी कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत सदन के प्रश्नकाल की वीडियो रिकार्डिंग का संपादन कर उत्तराखण्ड शासन के सूचना तथा लोक संपर्क विभाग के माध्यम से क्लिप वितरित की जाती है। इन तथ्यों के आलोक में मैं, यह निदेश देता हूॅ कि उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्ति सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग तथा संपादन की स्थायी व्यवस्था होने तक यह कार्यवाही किसी को भी वितरित न की जाए। अत्यन्त असाधारण अपवादिक परिस्थितियों में विशेष अवसर की अध्यक्ष से विशेष आग्रह के अनुमोदनोपरान्त सचिव के निर्देशन में वीडियो रिकार्डिंग की संपादित क्लिप उपवेशन के दिन ही वृहत् प्रसारण हेतु उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी निदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जाएं।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री मदन कौशिक ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कृषि मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री मदन कौशिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–02 से खण्ड–05, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री मदन कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नेता सदन द्वारा हरिद्वार में आटो परमिट 2 दिन में जारी कर दिए जाने का आश्वासान दिए जाने के बाद आज 4 दिन बीत जाने पर भी जारी नही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष ने अवगत कराया कि उक्त विषय पर परिवहन विभाग द्वारा 25 मार्च, 2015 के बैठक में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुईः–

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।''

श्री प्रदीप बत्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

माननीय मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित की दशा में सूचित किया कि चर्चा जारी रहेगीः–

> ''इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 जून, 2014 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी :–

> ''सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति ''यमुना स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये ''गंगा विकास प्राधिकरण'' की भांति ''यमुना विकास प्राधिकरण'' का गठन भी किया जाय।''

श्री महावीर सिंह रांगड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुईः–

> ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाने तथा राज्य के

ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि उक्त संकल्प से संबंधित श्री मदन कौशिक द्वारा कल दिनांक 20.03.2015 को नियम–65 में दी गई विशेषाधिकार की सूचना पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ गया है। अतः वे इसे भी अस्वीकार करते हैं।

श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्व नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने के लिये सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करे।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गांवों जिनमें उत्तराखण्डवासियों की जनसंख्या अधिक हो, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर दिये जायें।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत संकल्प अस्वीकृत हुआ।

श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा हेतु नाम पुकारे जाने अनुपस्थित की दशा में श्री अध्यक्ष ने कहा कि **चर्चा जारी** रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगीः–

''उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''राज्य में नगर निगम व नगर पालिका, नगर पंचायतों के कार्यो के संचालन हेतु संयुक्त रूप से सम्बन्धित निकायों के अधिकारियों/मेयर/अध्यक्ष/पार्षद/सदस्यों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए, इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एंव गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में औद्योगिक आस्थानों में छोटे–छोटे उद्योगों को आवंटित भूमि निर्धारित शर्तो पर लीज में दी गयी थी, को फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया जाय।''

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी :–

''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।''

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम– 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुईः–

''जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005–25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्चात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005–2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया हैः–

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गठन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005–25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोागों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।''

श्री उमेश शर्मा, श्री प्रदीप बत्रा ने अपने विचार व्यक्त किये।

नगर विकास मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत सूचना मा0 सदस्य, श्री नवप्रभात द्वारा वापस लिया गया।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुई :–

''उत्तराखण्ड राज्य में ''ईको सेंसटिव जोन'' को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जाये।''

वन मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत सूचना मा0 सदस्य, श्री नवप्रभात द्वारा वापस लिया गया।

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुईः–

''प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ विभागों की अलग–अलग बी0पी0एल0 सूची के आधार पर दिया जा रहा है। विभागवार अलग–अलग सूची से भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है तथा वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो रहे हैं। अतः जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाय तथा सभी विभागों हेतु एक ही सूची मान्य हो।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत सूचना मा0 सदस्य, श्री नवप्रभात द्वारा वापस लिया गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही है, जिस पर उन्होंने अपने रिहायशी मकान बनाये है।

ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी हैं।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है।

इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है।

इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते हैं। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।''

श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा उनके भाषण से आरम्भ हुईः–

''उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रहा है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा ''जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।''

श्री उमेश शर्मा, श्री विक्रम सिंह नेगी ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त मा0 सदस्य, श्री नवप्रभात द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की सूचना स्वीकार की गई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी** रहेगीः–

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''प्रदेश में आयी भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय।''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी** रहेगी :–

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''

''जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में अधूरी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के संबंध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा,

''जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में दिनांक 15 अगस्त, 2014 को आई आपदा से कई ग्रामों में मकान एवं फसलें नष्ट होने के कारण पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में'' श्रीमती अमृता रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2015 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य, पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही 02 बजकर 33 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।